


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खातियर म०प्र० ।



R 5355 1/16

1- श्रीमती सु० रनुआ पत्नी स्व० किशोर कुम्हार निवासी ग्राम हरदहन

तहसील जवा जिला रीवा म०प्र० ।

2- लक्ष्मेश तनय किशोर कुम्हार निवासी ग्राम हरदहन तहसील जवा जिला रीवा म०प्र० ।

3- रामलाल तनय किशोर कुम्हार निवासी ग्राम हरदहन तहसील जवा जिला रीवा म०प्र०

----- पुनरीक्षण कार्या ।

विरुद्ध

1- सु० सुखीलिया बेबा रामनिहोर निवासी ग्राम हरदहन तहसील जवा जिला रीवा म०प्र० ।

2- भैयालालनाई तनय हेतलाल निवासी ग्राम कोनी तहसील जवा जिला रीवा म०प्र० ।

3- शिवलाल तनय रामनिहोर निवासी ग्राम हरदहन तहसील जवा जिला रीवा म०प्र० ।

4- जयलाल तनय रामनिहोर निवासी ग्राम हरदहन तहसील जवा जिला रीवा म०प्र० ।

5- राजकुमार पिता बैजनाथ कुम्हार निवासी ग्राम हरदहन तहसील जवा जिला रीवा म०प्र० ।

प्र० _____

श्री कृपेन्द्र सिंह, ए००
द्वारा पेश 1/3-8-16
4/
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म०प्र० खातियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

✓

:: 2 ::

6- बैजनाथ तनय मंगाली निवासी ग्राम हरदहन तहसील जवा जिला रीवा
म0प्र0 ।

7- मुन्नालाल तनय किशोर कुम्हार निवासी ग्राम हरदहन तहसील जवा
जिला रीवा म0प्र0

----- गैर निगरानी कार्र ।

स्वप्रेरणा निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर क्लेक्टर
रीवा के प्र0क्र0 12बी0/12/ 015-016 पारित
आदेश दिनांक 08-07-16 .

राजस्व खसरा वर्ष 2005 एवं 2006 में की गयी
गलत प्रविष्टि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश
के वगैर हल्का फवाररी अतरैला के द्वारा भूमि
खसरा क्र0 33/7 रकबा 0-101 एवं खसरा क्र0
33/7/1 रकबा 0-040 हे0 एवं खसरा क्र0 33/7/2
रकबा 0-012 हे0, एवं खसरा क्र0 33/7/3 रकबा
0-008 हे0, एवं खसरा क्र0 33/7/4 रकबा -
0-040 हे0, स्थित ग्राम बरौहा-387 म0ह0
अतरैला रट0नि0मं0 अतरैला तह0 जवा जिला
रीवा म0प्र0 ।


अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0र0सं0 1959 ई0 ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5355-दो/2016

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्ता एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-2017	<p>आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 12/बी-121/15-16 में पारित आदेश दिनांक 8-7-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमो एवं विचाराधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है आवेदिका कमांक 1 मुस0 रनुआ ने अपर कलेक्टर के समक्ष म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1) के अन्तर्गत स्वमेव निगरानी हेतु प्रकरण अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अपर कलेक्टर ने स्वप्रेरणा की परिधि में न मानते हुये निरस्त किया है। अपर कलेक्टर ने आवेदिका कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को ग्राह्यता योग्य न पाते हुये निरस्त किया है जिसमें को अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। आवेदक यदि किसी आदेश अथवा अवैध कार्यवाही से असंतुष्ट है तो सक्षम न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">  (एस. एस. अली) सदस्य </p>	

(Handwritten mark)